निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक-07

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,जोधपुर

निविदा फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19.08.17 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे तक

1. सुरक्षा प्रहरी रखने के लिए निविदा
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली भूतपूर्व सैनिकों की स्वेच्छित सोसायटी/अन्य एजेंसी का नाम एवं डाक पता

   ....

   ....

   टेलीफोन/मोबाइल नम्बर ------------------
3. पंजीयन संख्या -----------------------
4. सोसायटी/एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति का नाम पद एवं डाक पता -

   ....

   ....

   ....

   टेलीफोन/मोबाइल नम्बर -----------------
5. किसको सम्बोधित किया गया - **कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर**
6. संदर्भ - निविदा सूचना क्र.प.06/रा.आ.वि./जोध./लेखा/17-18/......... दिनांक 25.07.17
7. निविदा शुल्क की राशि रूपये 400/- नकद रसीद संख्या ---------- दिनांक --------- के द्वारा जमा करवा दी गई हैं।
8. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के भवनों एवं सामग्री आदि की सुरक्षा हेतु दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

S. No.	Particulars	No. of Guard	Rate per Unit/ Per day	PF Contri bution	ESI Contri bution	Service Tax	Total Monthly charges as per column (4+5+6+7)	Other Charges	Gross Total of (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Supervisor Ex Serviceman (Male)	03							
2	Security Guard Ex Servicemen (Male)	10							
3	Security Guard Civili an (Male)	35							
4	Security Guard Civili an (Female)	03							

9. संस्था द्वारा कार्यदेश प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस के भीतर-भीतर मांग अनुसार सुरक्षा प्रहरियों को निविदा सूचना में वर्णित स्थानों की सुरक्षा हेतु तैनात कर दिया जायेगा।
10. निविदा फॉर्म में उल्लेखित दरें निविदा खोलने की तिथि से तीन माह के लिए विधि मान्य है। इस अवधि

11. अमानत/धरोहर राशि रूपये 48,000/- (अक्षरे अड़तालीस हजार मात्र) मात्र डी.डी. संख्या -------- दिनांक ----------द्वारा जमा करवा दी है।
12. सोसायटी/एजेंसी के पंजीकरण की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति संलग्न प्रस्तुत है।
13. सेवा कर बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संभाग से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न प्रस्तुत है।
14. निविदा फार्म के साथ प्रपत्र-3 फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी लाईसेन्स, सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रमाण पत्र एवं विगत 3 वर्षों के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. अन्य विवरण ----------------
16. निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक 19.08.17 को दोपहर बाद 3.00 PM बजे तक जमा कराये जा सकते है एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक 21.08.17 को दोपहर बाद 2.00 PM बजे यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्यदिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।
17. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए. आर./2007 दिनांक 30.09.11 (सर्कुलर नं.19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व रुपये 50.00 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रुपये निविदा प्रोसेसिंग शुल्क अतिरिक्त देनी होगी, जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजर डायरेक्टर, आर. आई. एस. एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाताओं द्वारा घोषणा (एस.आर. प्रारूप -11)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन कार्यों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड निविदा कार्य का अनुभव है तथा कार्य सम्पादनकर्त्ता हूँ/हैं। (जो लागु नहीं हो काट दिया जावे।)

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा। हम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी निविदा सूचना क्र.प.06/रा.आ.वि./जोध./ स्टोर/17-18/.......... दिनांक 25.07.17 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।

नाम एवं हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा की शर्ते

(प्रशासनिक खण्ड, चिकित्सालय, माननीय कुलपति महोदय का आवासीय भवन, छात्र एवं छात्रा छात्रावास, अतिथिगृह, रसायनशाला, आवासीय भवन, विश्वविद्यालय परिसर, केन्द्रीय पुस्तकालय, सेटेलाईट आयुर्वेद चिकित्सालय मगरा पूंजला एवं टोंक यूनानी कॉलेज तथा चिकित्सालय में स्थित विभिन्न विभागों के भवनों तथा सामग्री की सुरक्षा हेतु)

1. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खण्ड, संघटक चिकित्सालय, माननीय कुलपति महोदय के आवासीय भवन एवं परिसर में स्थित विभिन्न विभागों के भवनों तथा सामग्री की सुरक्षा के सम्पूर्ण कार्य का उत्तरदायित्व पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. भवनों की सुरक्षा 24 घण्टे करनी होगी, इसके लिये 8-8-8 घण्टे की ड्यूटि पर सुरक्षा प्रहरी

औसतन कटौती कर ली जायेगी। सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं होने अथवा किसी दिन सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं कराने पर अनुपातिक प्रतिदिन देय राशि की दुगुनी राशि की कटौती प्रतिदिन के हिसाब से की जायेगी। इसे निविदा के शर्तो की अवहेलना माना जाकर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। सुरक्षा प्रहरी की अनुपस्थिति के कारण विश्वविद्यालय को होने वाली हानि की वसूली निविदादाता से की जायेगी।

3. सुरक्षा प्रहरियों की तैनाती के दौरान विश्वविद्यालय की क्षति के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा। सुरक्षाकर्मी 18 वर्ष की आयु से कम एवं 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होने चाहिये। छात्रा छात्रावास हेतु महिला सुरक्षाकर्मी लगाये जायेंगे। सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने से पूर्व स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच कर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। समस्त सुरक्षाकर्मियों के बॉयोडाटा विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाने होंगे। कोई भी सुरक्षाकर्मी मेडिकली अनफिट नहीं होना चाहिए।
4. विश्वविद्यालय में नियोजन सम्बन्धी कोई भी अधिकार अथवा अन्य कोई अधिकार किसी भी सुरक्षा प्रहरी को नहीं होगा। इस संबंध में न्यायालय में कोई वाद दायर किये जाने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी निविदाकार सोसायटी/एजेन्सी की होगी।
5. सुरक्षा प्रहरियों का व्यवहार कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति सद्भावनापूर्ण, शिष्टतापूर्ण एवं मर्यादित होना चाहिए अन्यथा उसे हटाकर नया सुरक्षा प्रहरी लगाना होगा।
6. निविदादाता को उपरोक्त शर्तो के अनुरूप अनुबन्ध पत्र रूपये 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करने पर ही संविदा मान्य होगी।
7. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाएगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं नया ठेका होने पर ठेके की शेष अवधि में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली प्रथम निविदादाता से की जाएगी।
8. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को बिना कारण बतलाये यह अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. दरें अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जावें। इसमें किसी प्रकार की काट-छांट एवं ऊपरी लेखन नहीं होना चाहिए।
10. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या सब लेट नहीं करेगा।
11. निविदादाता द्वारा निर्धारित समय पर अनुबन्ध निष्पादित नहीं करने अथवा नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी।
12. संविदा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर कुल सचिव डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता को मान्य होगा।
13. सामान की चोरी या हानि होने की अवस्था में समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी व चोरी तथा हानि की सम्पूर्ण राशि निविदादाता से वसूल की जायेगी। सामान की चोरी अथवा हानि हो जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जायेगी। जिसका क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।
14. सभी प्रकार के कर निविदादाता के द्वारा वहन किये जायेंगे।
15. राज्य सरकार के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बाबत समय-समय पर जारी सभी नियमों एवं शर्तों की पूर्ण पालना निविदादाता का करनी होगी।
16. सुरक्षाकर्मियों का पूर्ण विवरण यथा नाम पिता का नाम, स्थायी पता एवं परिचय पत्र की फोटो प्रति सुरक्षाकर्मी को तैनात करने के पूर्व विश्वविद्यालय में देनी होगी।
17. राजस्थान **Transparency in Public Procurement Rule 2013** के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
18. एक्साईज विभाग में सर्विस टैक्स पंजीयन का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है तथा सर्विस टैक्स तथा पी. एफ. से सम्बन्धित राशि प्रत्येक माह जमा कराई जाकर इसके चालान की प्रति उपलब्ध कराना होगा। इसके अभाव में आगामी माह का भुगतान नही किया जावेगा।
20. न्युनतम मजदूरी में वृद्धि के कारण अतिरिक्त भुगतान हेतु प्रस्ताव निविदा के साथ दिये जावे।

है,उसके द्वारा उक्त दरों के अनुरुप अनुबंध हस्ताक्षरित किया जावेगा। आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि आगामी 06 माह तक बढ़ायी जा सकती है।

निविदा की अतिरिक्त शर्ते एवं निर्देश

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न भवनों हेतु वार्षिक सुरक्षा कार्य के संबंध में दिशा निर्देश एवं कार्य की शर्तें :-

01. न्यूनतम दर वाली निविदा को ही स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। निविदा के किसी भाग अथवा उसके उप भाग अथवा कोई भी कार्य हेतु कार्य आदेश दिया जा सकता है अथवा उस भाग को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता में निहित है।

02. सुरक्षा कार्य में लगे सभी श्रमिको को भुगतान प्रभारी के अथवा उसके अधिकृत कर्मचारी की उपस्थिति में रेखांकित चैक से करना आवश्यक होगा एवं उसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रत्येक माह के बिल के साथ संलग्न करना होगा कि भुगतान मेरे समक्ष उपस्थिति के अनुसार सभी श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से किया गया है। श्रमिक भुगतान की प्राप्ति रसीद की छाया प्रति (जिसमें बैंक का नाम, चैक संख्या, दिनांक, सकल राशि कटौतियाँ, शुद्ध राशि का उल्लेख हो) प्रस्तुत करनी होगी। ठेकेदार से मांग किये जाने पर संबंधित बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी उपलब्ध करवानी होगी।

03. स्वीकृत ठेके के दौरान संविदाकार को विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले अपने सभी श्रमिकों के आवश्यक पहचान पत्र, बैज, एक सी यूनीफार्म उपलब्ध कराने होंगे। इस संबंध में संविदाकार को ठेका प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देनी होगी। जिसके अनुसार श्रमिकों को विश्वविद्यालय परिसर में कार्य पर उपस्थित होने हेतु प्रवेश दिया जा सकेगा। सुरक्षा कर्मी द्वारा डयूटी पर उपस्थित होने पर प्रभारी या उसके प्रतिनिधि को सूचित करना होगा। 18 वर्ष से कम से आयु के नाबालिग श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जा सकेगा।

04. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध करते हुये यदि किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना होती है तो ऐसी दशा में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिये संविदाकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

05. कोई भी सुरक्षा कर्मी मादक द्रव्य/पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, अभद्रता, दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की इनामी राशि की मांग अपराध की श्रेणी में आयेगा, तथा शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को तुरन्त हटाना होगा अन्यथा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

06. इस कार्य अनुबन्ध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय हस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की डिक्री जारी की जाती है, तो उस राशि का वहन अनुबन्धकर्ता को करना होगा साथ ही यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो विश्वविद्यालय पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार ठेकेदार से वसूला जायेगा।

07. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर (यथा सेवा कर) आदि का भुगतान संविदाकार को करना होगा। संविदाकार को प्रत्येक माह के विपत्र के साथ गत माह के सेवाकर जमा करवाने का चालान/रसीद अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी अतः निविदादाता अपनी दरें देते समय इस बिन्दु का ध्यान रखें।

08. केन्द्र/राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त कानून/प्रावधानों की पालना ठेकेदार को करनी होगी जिसमें कर्मकार क्षतिपूर्ति एक्ट न्यूनतम मजदूरी भुगतान एक्ट, मजदूरी भुगतान एक्ट, इत्यादि समस्त श्रम कानून व नियम सम्मिलित होंगे। निविदाकर्ता किसी भी प्रकार से इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

09. यदि ठेकेदार एवं उनके सुरक्षा कर्मिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित श्रमिकों को औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटानें, कार्यमुक्त करने नोटिस, वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

10. अनुबन्ध पर लगे श्रमिकों की ईएसआई/पीएफ की कटौती कर नियोक्ता के अंशदान की राशि सहित राशि संबंधित विभागों में जमा करवाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा एवं जमा करायी गयी राशि का चालान मय सम्पूर्ण विवरण (श्रमिकवार) प्रत्येक माह के विपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उस माह का विपत्र पारित किया जाना संभव नहीं होगा। श्रमिको से संबंधित ईएसआई/पीएफ नियमों की पूर्ण पालना का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।

11. सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षाकर्मियों को वर्दी, टॉपी, बेल्ट, बैच, सीटी, टॉर्च, डण्डा एवं अन्य वस्तुएं ठेकेदार को उपलब्ध करवानी होगी।